

कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास (म0प्र0)

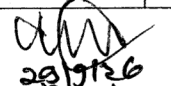
आदेश

क्रमांक 552/आपदा प्रबंधन योजना/2026 देवास, दिनांक 29/09/2026

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक Reg (IT)(SA)/2021/164, दिनांक 09.02.2021 के संलग्न म.प्र.शासन, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गृह विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक सीबी-03/2021/67 दिनांक 22.01.2021 के संलग्न प्रेषित की गई मार्गदर्शिका के तारतम्य में न्यायालय परिसर आपदा प्रबंधन योजना के अंतर्गत पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 194, दिनांक 01/04/2021 में आंशिक संशोधन करते हुये आपदा प्रबंधन समिति का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

आपदा प्रबंधन समिति

1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास	अध्यक्ष
2	चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, देवास	सदस्य
3	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, देवास	सदस्य
4	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवास	सदस्य
5	रजिस्ट्रार, सिविल कोर्ट/तृतीय सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास	संयोजक
6	अपर कलेक्टर, देवास	सदस्य
7	अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, देवास	सदस्य
8	उपाध्यक्ष, अभिभाषक संघ, देवास	सदस्य


29/9/26
कपिल मेहता

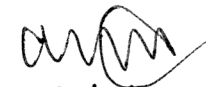
61C प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
देवास (म.प्र.)

पृष्ठां.क्रमांक 3780/आपदा प्रबंधन योजना/2026

देवास, दिनांक 29/09/2026

प्रतिलिपि :-

- 01- चतुर्थ जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास
- 02- प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, देवास
- 03- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवास
- 04- रजिस्ट्रार, सिविल कोर्ट/तृतीय सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास
- 05- अपर कलेक्टर, जिला देवास
- 06- अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, देवास
- 07- निज सहायक, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


29/9/26
कपिल मेहता

01C प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
देवास (म.प्र.)

कार्यालय :- जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास (म.प्र.)
// आदेश //

क्रमांक '102' / आपदा प्रबंधन / 2021 देवास, दिनांक 18/02/2021

माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक Reg(IT) (SA)/2021/164 दिनांक 09.02.2021 एवं म.प्र. शासन, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गृह विभाग, भोपाल द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए न्यायालय परिसर आपदा प्रबंधन योजना के अंतर्गत प्रेषित की गई मार्गदर्शिका के परिपालन में **एक्सपर्ट समिति (Expert Committee)** का गठन किया जाता है :-

1.	रजिस्ट्रार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास	अध्यक्ष
2.	उप पुलिस अधीक्षक (कानून एवं व्यवस्था), देवास	सदस्य
3.	प्रभारी अधिकारी ट्रेफिक, देवास	सदस्य
4.	कमाण्डेंट, होमगार्ड, देवास	सदस्य
5.	अग्निशमन अधिकारी, नगर निगम, देवास	सदस्य
6.	अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग (भवन/पथ) देवास	सदस्य
7.	अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग (वि./यां.) देवास	सदस्य
8.	जूनियर इंजीनियर, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. देवास	सदस्य

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
देवास म0प्र0

पृष्ठां. क्रमांक 975 (1-8) / आपदा प्रबंधन / 2021 देवास, दिनांक 18/02/2021
प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार/अध्यक्ष, एक्सपर्ट समिति, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास की ओर माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक Reg(IT) (SA)/2021/164 दिनांक 09.02.2021 के संलग्न मय दस्तावेजों की छायाप्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. उप पुलिस अधीक्षक (कानून एवं व्यवस्था), देवास
3. प्रभारी अधिकारी ट्रेफिक, देवास
4. कमाण्डेंट, होमगार्ड, देवास
5. अग्निशमन अधिकारी, नगर निगम, देवास
6. अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग (भवन/पथ) देवास
7. अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग (वि./यां.) देवास
8. जूनियर इंजीनियर, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. देवास की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
देवास म0प्र0